

प्रारंभिक परीक्षा

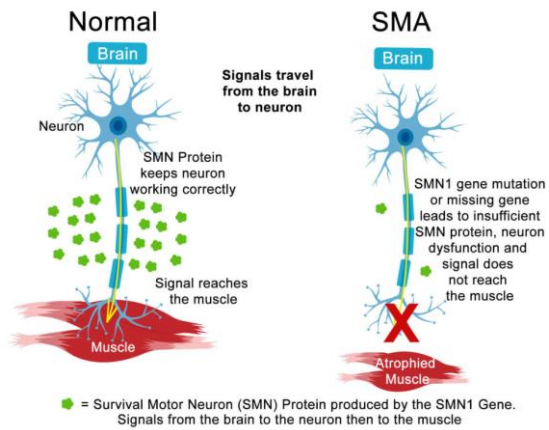
स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी

संदर्भ

केरल के SAT अस्पताल ने प्रसवपूर्व जांच के माध्यम से पहचाने गए नवजात शिशु को भारत का पहला पूर्व-लक्षणात्मक SMA उपचार दिया, जिसमें भविष्य में तंत्रिका क्षति को रोकने के लिए दुर्लभ दवा रिस्टिप्लाम का उपयोग किया गया।

स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (SMA) के बारे में -

- **परिभाषा:** एक गंभीर आनुवंशिक विकार जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे प्रगतिशील मांसपेशी कमजोरी और गति नियंत्रण की हानि होती है।
- **कारण:**
 - **SMN1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।**
 - इससे SMN प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो मोटर न्यूरॉन्स के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
- **व्यापकता:**
 - यह रोग लगभग 10,000 जन्मों में से 1 को प्रभावित करता है।
 - यह शिशु एवं बाल मृत्यु दर के प्रमुख आनुवंशिक कारणों में से एक है।
- **SMA के प्रकार:**
 - **टाइप 0:** सबसे गंभीर; लक्षण जन्म से पहले शुरू होते हैं।
 - **टाइप 1:** जीवन के पहले 6 महीनों के भीतर प्रकट होता है।
 - **टाइप 2:** 6 से 18 महीने के बीच शुरू होता है।
 - **टाइप 3:** किशोरावस्था के 18 महीने बाद विकसित होता है।
 - **टाइप 4:** वयस्कों में प्रारम्भ, आमतौर पर हल्के लक्षण।
- **लक्षण:**
 - मांसपेशियों में कमजोरी, विशेष रूप से शरीर के केंद्र के पास (समीपस्थ मांसपेशियाँ)।
 - गंभीर मामलों में चलने, बैठने या सांस लेने पर असर पड़ सकता है।
 - अनेच्छिक मांसपेशियाँ (हृदय, पाचन तंत्र, रक्त वाहिकाएं) प्रभावित नहीं होती हैं।
 - लक्षण हल्के से लेकर गंभीर रूप से अक्षम करने वाले तक हो सकते हैं।
- **उपचार एवं लक्षण प्रबंधन:** वर्तमान में इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।
 - **लक्षण प्रबंधन में शामिल हैं:**
 - भौतिक चिकित्सा - मुद्रा, गतिशीलता में सुधार करती है, और मांसपेशियों की कमजोरी को धीमा करती है।
 - पोषण सहायता, श्वसन देखभाल और सहायक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।
 - **FDA-अनुमोदित चिकित्सा (2016-2020):**
 - **रोग-संशोधित चिकित्सा** - रोग की प्रगति को धीमा करना।
 - **जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा** - मूल आनुवंशिक कारण को लक्षित करती है।



स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

सिंधु घाटी लिपि

संदर्भ

ASI अगस्त में सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने पर चर्चा के लिए एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा।

सिंधु घाटी लिपि -

- **2600-1900 ईसा पूर्व के दौरान विकसित।**
- भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली।
- अभी भी अपठित, शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है।
- विशेषताएँ:
 - मुहरों, मिट्टी के बर्तनों, औजारों, तख्तियों, आभूषणों आदि पर अंकित।
 - चित्रात्मक और बुस्ट्रोफेडॉन (बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वैकल्पिक) शैलियों में लिखी गई।
 - पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत की कलाकृतियों पर पाई गई।
 - 26 प्रतीकों से अधिक लंबा कोई शिलालेख नहीं।
- **सामग्री के रूप:**
 - **अंकित:** मुहरें, मिट्टी के बर्तन, कांस्य उपकरण, पत्थर के बर्तन, हड्डियां, शंख, हाथी दांत, सेलखड़ी, तांबे की पटियाएं।
 - **मुहरें:**
 - वर्गाकार, ~2.5 सेमी²।
 - आमतौर पर इसमें पशु आकृतियां होती हैं और ऊपर लिपि होती है।
 - स्टीटाइट, चांदी, फ़ाइनेस, कैल्साइट से बना, अक्सर चमकीला।
 - **उपयोग:**
 - व्यापार, पहचान और प्रशासन के लिए उपयोग किया जाता है।
 - कुछ मुहरों का उपयोग ताबीज के रूप में किया जाता है।
 - मेसोपोटामिया में पाए गए मिट्टी के टैग लंबी दूरी के व्यापार के साक्ष्य दर्शाते हैं।
 - संयुक्त पाठ + कथात्मक कल्पना → संभावित धार्मिक या पौराणिक महत्व।



स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

सरकार ने पदों पर लेटरल एंट्री को नहीं छोड़ा है

संदर्भ

सरकार ने स्पष्ट किया कि आरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण 45 पदों के लिए विज्ञापन वापस लेने के बावजूद यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री भर्ती को समाप्त नहीं किया गया है।

लेटरल एंट्री(पार्श्विक प्रवेश) क्या है?

- यह सरकार के मध्यम और वरिष्ठ स्तरों पर निजी क्षेत्र या गैर-सरकारी संगठनों से विशेषज्ञों की नियुक्ति है।
- इसका उद्देश्य डोमेन विशेषज्ञता लाना और आईएएस अधिकारियों की कमी को दूर करना है।
- नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडे में इसका प्रस्ताव रखा है।
- शासन पर सचिवों के समूह (जीओएस) ने भी इसकी सिफारिश की है।
- सरकारी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में डोमेन विशेषज्ञता को बढ़ाना।
- केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख स्तरों पर अधिकारियों की कमी को दूर करना।
- निम्नलिखित क्षेत्रों से पेशेवरों की भर्ती करना:
 - राजस्व, वित्त, आर्थिक मामले
 - कृषि, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य
 - सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, आदि।

भर्ती प्रक्रिया -

- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित।
- इसमें शामिल चरण:
 - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यूपीएससी से भर्ती आरंभ करने का अनुरोध करता है।
 - यूपीएससी निर्दिष्ट भूमिकाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी करता है।
 - शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है।
 - अंतिम चयन सूची कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अनुशंसित की जाती है।
 - नियुक्तियाँ 3-5 वर्षों के लिए की जाती हैं।

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)

ग्रीन इंडिया मिशन

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 17 जून, 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर 2021-2030 के लिए संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) योजना जारी की।

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) क्या है?

- **लॉन्च:** फरवरी 2014
- **अंतर्गत:** जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- **लक्ष्य:** शमन और अनुकूलन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना, वन-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर ध्यान केंद्रित करना

तुलना: GIM 2014 बनाम संशोधित GIM (2021-2030)

विजन एवं उद्देश्य

पहलू	GIM 2014	संशोधित GIM 2021-2030
विजन	वन आवरण की सुरक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन; जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया	वही दृष्टिकोण, लेकिन पेरिस समझौते के तहत भारत के एनडीसी के साथ संरेखित
फोकस	सामान्य वन आवरण सुधार	लक्षित दृष्टिकोण: अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, मैंग्रोव, शुष्क उत्तर-पश्चिम

लक्ष्य -

GIM 2014	संशोधित GIM योजना
5 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीय भूमि पर वनरोपण	24-25 मिलियन हेक्टेयर वनरोपण/पुनर्स्थापन (GIM + अभिसरण के माध्यम से)
5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन गुणवत्ता में सुधार	GIM 2030 तक 1 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सीधे उपचारित करेगा
वार्षिक CO ₂ पृथक्करण लक्ष्य: 50-60 मिलियन टन	अनुमानित कार्बन सिंक: 3.39 बिलियन टन CO ₂ तक

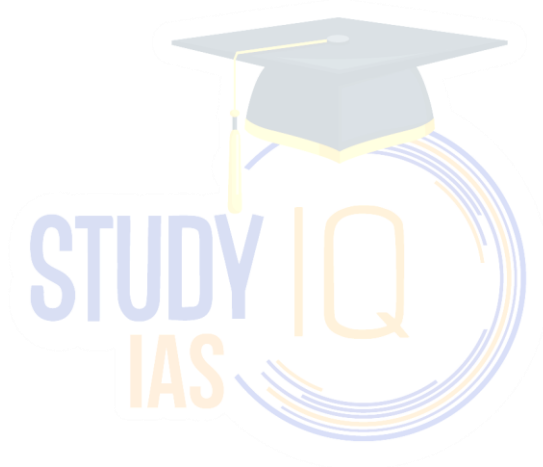
उप-मिशन/घटक -

GIM 2014 - 5 घटक	संशोधित GIM योजना - 3 घटक
- वन आवरण में सुधार - पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली - शहरी हरियाली - कृषि/सामाजिक वानिकी - आर्द्रभूमि पुनरुद्धार	- वन गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ - वनरोपण एवं पारिस्थितिकी तंत्र बहाली - वन-आश्रित समुदायों के लिए आजीविका संवर्धन

निगरानी एवं मूल्यांकन -

GIM 2014	संशोधित GIM योजना
जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण	5-स्तरीय निगरानी प्रणाली
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के माध्यम से सुदूर संवेदन	राष्ट्रीय स्तर पर जीआईएस आधारित सेल + डैशबोर्ड
नियोजित सामाजिक लेखा परीक्षा	एजेंसियों द्वारा स्व-निगरानी + ग्राम सभा ऑडिट
	उपग्रह आधारित निगरानी (एफएसआई + विशेषज्ञ निकाय)
	पारदर्शिता के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)



वन स्टॉप सेंटर योजना

संदर्भ

संसदीय समिति द्वारा निधियों के कम उपयोग और अनुचित कार्यप्रणाली पर चिंता जताए जाने के बाद वन-स्टॉप सेंटर (OSC) चर्चा में हैं।

योजना के बारे में -

- 1 अप्रैल 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा लॉन्च किया गया।
- निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है।
- 2022-23 से मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल उप-योजना में एकीकृत किया गया।
- तत्काल और एकीकृत सहायता प्रदान करना: चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और आश्रय।
- आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना।
- संकट और देरी को कम करने के लिए एक केंद्रीकृत उत्तरजीवी-अनुकूल मंच प्रदान करना।



प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ -

- आपातकालीन बचाव और पुलिस तथा एम्बुलेंस सेवाओं के साथ समन्वय।
- निकटतम अस्पतालों में रेफरल के माध्यम से चिकित्सा सहायता।
- प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा मनो-सामाजिक परामर्श।
- पैनलबद्ध कानूनी विशेषज्ञों के माध्यम से कानूनी सहायता और परामर्श।
- महिलाओं और उनके नाबालिग बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय (5 दिनों तक)।
- न्यायालय या पुलिस बयानों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

लक्षित लाभार्थी -

- सभी महिलाएं, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियां भी शामिल हैं (किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियम प्रावधानों के साथ)।
- शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार के शिकार।
- घरेलू हिंसा, तस्करी, एसिड हमलों, सम्मान अपराध आदि से बचे लोग।

स्रोत: [IndianExpress](https://www.indianexpress.com)

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करते हुए 2022-23 और 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 रिपोर्ट जारी की।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स(PGI) 2.0 के बारे में -

- उद्देश्य: एक डेटा-संचालित मूल्यांकन उपकरण जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।

Categories	Domain	Indicators	Total Weight
1. Outcomes	Learning Outcomes and Quality (LO)	12	240
	Access (A)	7	80
	Infrastructure & Facilities (IF)	15	190
	Equity (E)	16	260
2. Governance Management (GM)	Governance Processes (GP)	15	130
	Teacher Education & Training (TE&T)	8	100
Total		73	1000

- लॉन्च टाइमलाइन: 2017 में पेश किया गया; PGI 2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित एक संशोधित संस्करण है।
- प्रकाशक: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।
- कवरेज: 6 प्रमुख डोमेन और 73 संकेतकों में प्रदर्शन को मापता है, जिनमें शामिल हैं:
 - सीखने के परिणाम
 - पहुंच
 - बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएं
 - हिस्सेदारी
 - शासन प्रक्रियाएँ
 - शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- ग्रेडिंग प्रणाली: 1000 अंकों में से अंक, दक्ष (उच्चतम) से आकांक्षी-3 (निम्नतम) तक 10 ग्रेडों में वर्गीकृत।

PGI 2.0 (2023-24) की मुख्य विशेषताएं -

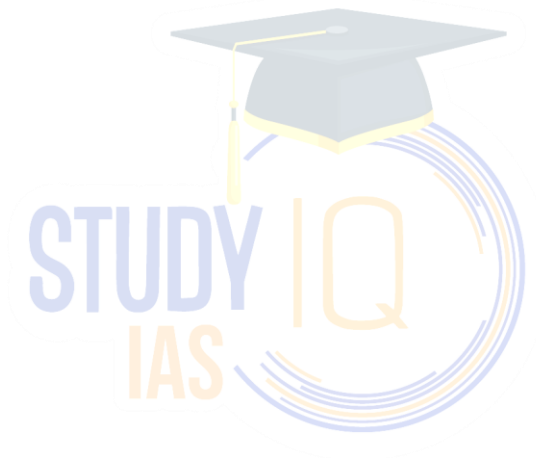
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:
 - चंडीगढ़ ने 703 अंकों के साथ सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया, जो प्रचेस्टा-1 श्रेणी में आता है।
 - बुनियादी ढांचे और शासन में सबसे मजबूत प्रदर्शन देखा गया।
- सबसे कम प्रदर्शन करने वाला:
 - मेघालय 417 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा, जिसे आकांक्षी-3 ग्रेड दिया गया।
 - सीखने के परिणामों और पहुंच में प्रमुख मुद्दे नोट किए गए।
- शीर्ष चार ग्रेड में कोई राज्य नहीं:
 - कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दक्ष (951-1000) या उत्कर्ष ग्रेड के लिए योग्य नहीं है।
 - यह शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में प्रणालीगत मुद्दों को प्रतिबिंबित करता है।

Scores (% of total points)	Score range	Grade
91% to 100%	941-1000	Daksh
81% to 90%	881-940	Utkarsh
71% to 80%	821-880	Atti-Uttam
61% to 70%	701-820	Uttam
41% to 50%	641-700	Prachesta-
31% to 40%	581-640	Prachesta-
21% to 30%	521-580	Akanshi-1
Up to 10%	461-520	Akanshi-2
Up to 10%	401-460	Akanshi-3

- **राज्य की समग्र प्रगति:**
 - 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्कोर में सुधार हुआ।
 - हालाँकि, 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गिरावट दर्ज की गई, जो असमान वृद्धि को दर्शाता है।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:**
 - दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, तथा तेलंगाना ने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षण वातावरण में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित की।
- **सीखने के परिणामों की चिंता:**
 - लर्निंग आउटकम डोमेन में कोई भी राज्य दक्ष तक नहीं पहुंच पाया।
 - यह बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में, विशेष रूप से आधारभूत स्तर पर, लगातार चुनौतियों को इंगित करता है।
- **इक्विटी रुझान:**
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच प्रदर्शन का अंतर थोड़ा कम हो गया है।
 - हालाँकि, समानता एक चिंता का विषय बनी हुई है, विशेष रूप से सीखने के परिणामों में।
- **पहुँच लाभ:**
 - बिहार और तेलंगाना नामांकन और प्रतिधारण में सुधार लाने में अग्रणी रहे, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों में।

स्रोत: [The Print](#)

S



समाचार संक्षेप में

माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी

समाचार? माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी में हाल ही में विस्फोट हुआ।

इसके बारे में -

- **अवस्थिति:** फ्लोरेस द्वीप, इंडोनेशिया
- **विशेषताएं:** यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोलकैनो है, जो अपने शंकाकार आकार और आवधिक विस्फोटों के लिए जाना जाता है।
 - यह अत्यधिक सक्रिय प्रशांत अग्नि वलय(Pacific Ring of Fire) का हिस्सा है।
- **ज्वालामुखी विस्फोट:** ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैस अणुओं का 99% जल वाष्प, CO₂ और SO₂ होता है।
- शेष 1% हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि की अल्प मात्रा से बना होता है।

स्रोत: [AP News](#)



समाचार में स्थान

वेनेजुएला



समाचार? चुआओ के डांसिंग डेविल्स ने वेनेजुएला के कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव में भाग लिया, एक परंपरा जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी।

वेनेजुएला के बारे में -

- अवस्थिति: दक्षिण अमेरिका का उत्तरी तट
- राजधानी: कराकास
- भौगोलिक सीमाएँ
 - उत्तर: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर
 - पूर्व: गुयाना
 - दक्षिण: ब्राज़ील
 - पश्चिम/दक्षिणपश्चिम: कोलंबिया
- भौतिक विशेषताएँ
 - उत्तर में एंडीज़ पर्वत
 - ओरिनोको नदी बेसिन जिसमें विशाल लानोस (मैदान) शामिल हैं
 - माराकाइबो झील - दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील
 - एन्जेल फॉल्स - विश्व का सबसे ऊँचा झरना
- प्रमुख नदियाँ
 - रियो नीग्रो (2,250 किमी) - अमेज़न की सहायक नदी; कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ साझा की जाती है
 - ओरिनोको नदी (2,101 किमी) - दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे लंबी नदी
- द्वीप और द्वीपसमूह (कैरेबियाई): मार्गरीटा द्वीप, ला ब्लैंकिला, ला टोर्टुगा, लॉस रोक्स, लॉस मोनजेस
- प्राकृतिक संसाधन: दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार

स्रोत: [TheHindu](https://www.thehindu.com)

संपादकीय सारांश

तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन और स्थानीय एकीकरण

संदर्भ

भारत और श्रीलंका में हाल के घटनाक्रमों ने भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर पुनः ध्यान आकृष्ट किया है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ने के बाद से 90,000 से अधिक शरणार्थी मुख्य रूप से तमिलनाडु में रह रहे हैं, तथा उनके प्रत्यावर्तन, कानूनी स्थिति और स्थानीय एकीकरण के प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं।
- भारतीय सरकार और नागरिक समाज द्वारा मानवीय प्रयासों के बावजूद, उनकी दुर्दशा को दूर करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभी भी अभाव है।

• भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों में दो समूह शामिल हैं:

- श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूरों के रूप में लाया गया।
- गृहयुद्ध (1983-2009) के कारण भारत भाग आये, विशेष रूप से तमिलनाडु में।

शरणार्थी क्षतिपूर्ति से संबंधित हाल की घटनाएं -

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराए गए एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी को उसकी सजा पूरी करने के बाद भारत में बसने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
 - पीठ ने टिप्पणी की, "भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत किया जाए।"
- यूएनएचसीआर की सहायता से भारत से लौटे एक 75 वर्षीय शरणार्थी को "बिना वैध दस्तावेजों के" देश छोड़ने के आरोप में पलाली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया।
 - पुराने युद्धकालीन कानूनों को स्वतः लागू करने के कारण हुई इस गिरफ्तारी से सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो गया तथा शरणार्थी समुदाय में चिंता फैल गई।
 - श्रीलंकाई प्राधिकारियों ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए संघर्ष के दौरान भागकर आए शरणार्थियों की सुगम वापसी के लिए आव्रजन और उत्प्रवास कानूनों में संशोधन करने का वचन दिया।

तथ्य -

- विश्व शरणार्थी दिवस: 20 जून
 - 2025 थीम: शरणार्थियों के साथ एकजुटता

भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की दुर्दशा -

- दीर्घकालिक विस्थापन:** अधिकांश शरणार्थियों ने तमिलनाडु में 30 वर्ष से अधिक समय बिताया है, जहां वे कानूनी अस्पष्टता और सीमित अधिकारों वाली स्थितियों में 100 से अधिक पुनर्वास शिविरों में रह रहे हैं।
- कानूनी स्थिति का अभाव:** उन्हें न तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है और न ही भारतीय कानून के तहत शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिससे वे पासपोर्ट या मतदान के अधिकार के बिना एक सीमांत कानूनी स्थिति में रह जाते हैं।
- रोजगार में बाधाएं:** शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद (जैसे कि उनमें 500 से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक हैं), कई शरणार्थियों को दस्तावेजीकरण और कानूनी स्थिति के मुद्दों के कारण रोजगार भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ:** "शरणार्थी" का टैग सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है और गरिमा को प्रभावित करता है, विशेष रूप से भारत में पैदा हुई और पली-बढ़ी युवा पीढ़ी के बीच।
- **सीमित नीतिगत ढांचा:** तिब्बती शरणार्थियों के विपरीत, जो 2014 की तिब्बती पुनर्वास नीति से लाभान्वित होते हैं, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के पास कल्याण, रोजगार या एकीकरण के लिए संरचित राष्ट्रीय ढांचे का अभाव है।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 से बहिष्करण:** सीएए, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई) के लिए भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है।
 - इसमें भारत में लंबे समय तक रहने और उत्पीड़न के बावजूद श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है।

शरणार्थियों से संबंधित भारत-श्रीलंका समझौते -

- **सिरीमावो-गांधी समझौता (1964):** श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों को वापस भेजने और भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। हालाँकि, यह श्रीलंका में भारतीय तमिलों पर केंद्रित था, न कि गृह युद्ध से भाग रहे श्रीलंकाई तमिलों पर।
- **भारत-श्रीलंका समझौता (1987):** गृहयुद्ध के दौरान हस्ताक्षरित, इसमें श्रीलंका में तमिल अधिकारों के लिए प्रावधान शामिल थे और शरणार्थियों की वापसी का आह्वान किया गया था, लेकिन कार्यान्वयन कमजोर था।
- **प्रत्यावर्तन प्रयास (1995 तक):** संगठित स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन 1995 तक किया गया था, लेकिन श्रीलंका में जारी हिंसा और सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे रोक दिया गया था।
- **यूएनएचसीआर की भागीदारी:** शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने हाल के वर्षों में स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की है, लेकिन वापस लौटने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मजबूत समझौता नहीं किया गया है, जैसा कि हालिया हिरासतों से पता चलता है।

आगे की राह -

- **राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाना:** अधिकारों और उपचार में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- **सीएए या किसी विशेष प्रावधान का विस्तार:** श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए मानवीय आधार पर सीएए या विशेष प्रावधान का विस्तार किया जाए।
- **पुनर्वास नीति अपनाना:** दीर्घकालिक एकीकरण के लिए तिब्बती पुनर्वास नीति (2014) की तरह।
- **सुरक्षा जोखिमों की जांच करना:** आपराधिक/अलगाववादी इरादे वाले लोगों की पहचान करें और उन्हें अलग-थलग करना।
- **द्विपक्षीय समझौता:** श्रीलंका के साथ, जहां भी वांछित हो, सम्मान के साथ सुरक्षित, स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के लिए।
- **शिविरों से समुदाय की ओर ध्यान केन्द्रित करना:** शरणार्थियों को समाज में सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाना।

स्रोत: [The Hindu](#)

भारत को अपने प्रणोदन अंतराल को क्यों संबोधित करना चाहिए?

संदर्भ

- एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे प्लेटफॉर्म के विकास द्वारा चिह्नित भारत की महत्वाकांक्षी एयरोस्पेस यात्रा को सैन्य स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
- हालांकि, देश का लगातार प्रणोदन अंतराल - विदेशी विमान इंजनों पर इसकी अत्यधिक निर्भरता - एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी बनी हुई है।
- HF-24 मारुत की ऐतिहासिक विफलता और हाल ही में कावेरी इंजन के साथ हुई असफलताएं इस महत्वपूर्ण कमजोरी को रेखांकित करती हैं।

भारत को अपनी प्रणोदन क्षमता की कमी को तत्काल क्यों दूर करना चाहिए?

- **सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेशी इंजन आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भारत को भू-राजनीतिक दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में देरी और प्रौद्योगिकी अस्वीकृति व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को कमजोर कर सकती है।
- **इतिहास से सबक:** उपयुक्त घरेलू इंजन की कमी के कारण मारुत और तेजस (एलसीए) जैसे स्वदेशी विमानों को नुकसान उठाना पड़ा, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई और पूरी लड़ाकू क्षमता से समझौता करना पड़ा।
- **सेना के आधुनिकीकरण में विलम्ब:** इंजन की देरी से आपूर्ति (जैसे, एलसीए एमके1ए के लिए जीई एफ404) के कारण सेना में शामिल होने, प्रशिक्षण और तैनाती की समयसीमा में देरी होती है, जिससे स्क्वाड्रन की संख्या में कमी के बीच भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **निर्यात संबंधी बाधाएं:** विदेशी इंजन से चलने वाले विमानों को निर्यात के लिए तीसरे पक्ष की मंजूरी की आवश्यकता होती है - जिससे भारत की रक्षा कूटनीति और औद्योगिक पहुंच सीमित हो जाती है।
- **नौसेना और बख्तरबंद निर्भरता:** इंजन पर निर्भरता केवल विमान तक ही सीमित नहीं है - भारत के युद्धपोत और टैंक भी आयातित पावर पैक पर चलते हैं, जिससे रक्षा में समग्र आत्मनिर्भरता से समझौता होता है।
- **आत्मनिर्भर भारत की राह में बाधा:** स्वदेशी प्रणोदन के बिना आत्मनिर्भरता के नारे खोखले रह जाएंगे। इंजन किसी भी लड़ाकू प्लेटफॉर्म का दिल होते हैं; उनके बिना सच्ची आजादी अधूरी है।

स्रोत: [The Hindu](#)

भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अधिक एकीकरण का अवसर

संदर्भ

यदि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं में फेरबदल किया जाता है, तो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से एकीकृत होने का अवसर मिल सकता है।

ट्रम्प का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **टैरिफ-केंद्रित नीति:** ट्रम्प द्वारा चीनी वस्तुओं पर प्रस्तावित 60%+ सहित व्यापक-आधारित टैरिफ लगाने की संभावना है।
- **चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान:** उच्च अमेरिकी टैरिफ चीन से आयात को महंगा बना देंगे, जिससे वैश्विक कंपनियों को सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- **'चीन+1' रणनीति के लिए प्रोत्साहन:** बहुराष्ट्रीय निगम चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक विनिर्माण केन्द्रों की तलाश करेंगे।

इससे भारत के लिए अवसर कैसे पैदा होता है?

- **अनुकूल भूराजनीति:** भारत अमेरिकी टैरिफ के निशाने पर नहीं है और इसे वैश्विक व्यापार में एक मित्रवत साझेदार के रूप में देखा जाता है।
- **विशाल एवं कुशल कार्यबल:** भारत के पास लागत लाभ (कम मजदूरी) है तथा इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रतिभाओं का भंडार बढ़ रहा है।
- **मौजूदा सरकारी योजनाएं:** पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन), मेक इन इंडिया और व्यापार करने में आसानी जैसी बेहतर योजनाएं भारत को एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित करती हैं।

भारत में लाभ पाने वाले संभावित क्षेत्र -

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले यूनिट (एप्पल, फॉक्सकॉन पहले से ही स्थानांतरित हो रहे हैं)।
- **मध्य-तकनीकी श्रम-प्रधान क्षेत्र:** वस्त्र, जूते, खिलौने, फर्नीचर - ऐसे क्षेत्र जहां चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सकती है।
- **ऑटो कम्पोनेंट्स एवं ई.वी.:** वायरिंग हार्नेस, बैटरी मॉड्यूल - ऐसे उभरते क्षेत्र जहां भारत मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ सकता है।

बदलाव को समझने में भारत की ताकत -

- **कम श्रम लागत:** भारत में विनिर्माण मजदूरी एशिया में सबसे कम है।
- **मौजूदा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र:** इलेक्ट्रॉनिक्स (तमिलनाडु), वस्त्र (गुजरात, तमिलनाडु), ऑटो पार्ट्स (महाराष्ट्र, हरियाणा) के लिए।
- **उन्नत वैश्विक धारणा:** भारत को एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।

अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को क्या करना होगा -

- **आयात शुल्क में कमी:** हाल की संरक्षणवादी वृद्धि (जैसे, इस्पात और खाद्य तेलों जैसी कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि) को वापस लेना, ताकि वैश्विक आपूर्ति/मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होना आसान हो सके।
- **व्यापार समझौते:** निर्यात को आसान बनाने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और हिंद-प्रशांत सहयोगियों के साथ एफटीए को त्वरित गति से आगे बढ़ाना।
- **व्यापार करने में आसानी:** भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, बिजली आपूर्ति और सीमा शुल्क निकासी को सुव्यवस्थित करना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** बंदरगाह संपर्क, माल ढुलाई गलियारा और प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार करना।

- **कार्यबल कौशल:** इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स उद्योग की जरूरतों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को संरेखित करना।

भारत को किन जोखिमों से सावधान रहना चाहिए -

- **वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको से प्रतिस्पर्धा:** ये देश पहले से ही बदलावों से लाभान्वित हैं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में बेहतर तरीके से एकीकृत हैं।
- **नीति अनिश्चितता:** बार-बार टैरिफ परिवर्तन और अस्पष्ट विनियमन विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे की बाधाएं:** धीमी लॉजिस्टिक्स और अविश्वसनीय उपयोगिताएं स्केलेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

निष्कर्ष

ट्रम्प के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक व्यापार में संभावित बदलाव के कारण भारत के पास अवसरों की एक रणनीतिक खिड़की है। चीन के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनने के लिए, भारत को विशेष रूप से मध्य-तकनीकी निर्यात क्षेत्रों में गहन व्यापार और घरेलू सुधारों के साथ तेजी से कार्य करना चाहिए। यदि इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह बदलाव वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिससे विकास, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत: [Indian Express](#)

